यदि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान के साथ मेहनत करने की जरुरत है। –अज्ञात।

विचार-प्रवाह देहरादून, मंगलवार 4 जनवरी 2022
पेज थ्री
www.page3news.in

आरोप–प्रत्यारोप और बयानबाजी

आरोप–प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला काफी पहले से चल रहा है, लेकिन एक गवाह का यह कहना कि उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए और यह कि तलाशी के समय वह मौके पर मौजूद ही नहीं था, एनसीबी अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

आरती सिंह।।

बॉलिवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स मामले में एक गवाह के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस मामले में आरोप–प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला काफी पहले से चल रहा है, लेकिन एक गवाह का यह कहना कि उससे कोरे कागज पर दस्तखत करवाए गए और यह कि तलाशी के समय वह मौके पर मौजूद ही नहीं था, एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। हालांकि यह पूरा प्रकरण अभी आरोपों की शक्ल में है और विस्तृत जांच के बगैर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मगर पिछले कुछ समय से ड्रग्स से जुड़े मामलों में जांच एजेंसियों का जो रुख देखने में आया है, उससे ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर ड्रग्स कारोबार करने वालों और निजी तौर पर इसका सेवन करने वालों में फर्क उनकी नजरों में थोड़ा धुंधला हुआ है। चूंकि ऐसे कुछ चर्चित मामले अभी अदालत में हैं, इसलिए उन पर कोई टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आम तौर पर यह माना जाता रहा है कि एजेंसियों का काम बड़े पैमाने पर होने वाले अवैध कारोबार को रोकना है ताकि आम युवाओं तक ड्रग्स पहुंचे ही नहीं और उनके इस चंगुल में फंसने की गुंजाइश ही न बने। एजेंसी के सीमित संसाधन अगर एक–एक व्यक्ति से जुड़े मामलों में लगाया जाने लगे तो बड़े लेवल पर चलने वाले रैकेट पर अंकुश लगाने का काम प्रभावित हो सकता है।

इस संदर्भ में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का पिछले दिनों दिया गया यह सुझाव बेहद महत्वपूर्ण है कि एनडीपीएस एक्ट में आवश्यक सुधार करके यह सुनिश्चित किया जाए कि ड्रग्स के चंगुल में फंसे लोग अपराधी नहीं बल्कि विक्टिम माने जाएं। अपने देश के मौजूदा कानूनों के मुताबिक किसी ड्रग्स का सेवन करने वाले को एक साल तक की कैद या 20,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसमें पहली बार सेवन कर रहे और बार–बार ड्रग्स लेने वालों में भी कोई फर्क नहीं किया गया है। वैसे भी किसी संयोग या साजिश के तहत ड्रग्स इस्तेमाल की चपेट में आने वालों को अपराधी मान लेने से उनमें और ड्रग पेडलर में कोई फर्क नहीं रह जाता, जिससे बुराई की जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करने का मकसद हासिल करना और कठिन हो जाता है। सॉफ्ट ड्रग जैसे भांग, गांजा और हार्ड ड्रग जैसे कोकीन, हेरोइन आदि के बीच कानूनी फर्क मिटाने से भी यही होता है। वक्त आ गया है जब सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के इस सुझाव को गंभीरता से लेते हुए न केवल कानून के प्रावधानों में आवश्यक बदलाव किए जाएं बल्कि विभिन्न एजेंसियों के रुख को भी ज्यादा कारगर बनाने की दिशा में उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

धन

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।
राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्धारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया लेकिन आपका खाना भी खाया, जिसमें नमक मिला था। इसीलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। वह दो–चार दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा पकड़ लिया गया–लेकिन चार दिन के बाद लड़का आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला– "बापू जी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनो।

संपादकीय

आफ्सपा हटाने की मांग

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में असम राइफल्स में 13 नवंबर को उग्रवादी पीपल्स लिबरेशन फ्रंट (पीएलए) और मणिपुर नगा पीपल्स फ्रंट (एमएनपीएफ) के संयुक्त हमले में असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और पुत्र समेत सात लोगों के मारे जाने के बाद से सुरक्षाबल सख्त हो गई थी। लेकिन इस चूक की वजह से परेशानी बढ़ गई है। गत 4 दिसंबर की घटना में आम नगाओं के दिल को चोट पहुंचाई है। इसकी भरपाई तुरंत संभव नहीं है। इसका प्रत्यक्ष असर नगा शांति समझौते पर भी पड़ेगा, क्योंकि यदि आम लोग तैयार नहीं हुए तो नगा बागियों से समझौते का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। वैसे सोमवार को संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उस घटना को अफसोसजनक बताया है और भारत सरकार की तरफ से खेद व्यक्त किया है। उसके बाद नगाओं का नेतृत्व करने वाले संगठन नगा नैशनलिस्ट काउंसिल (एनएनसी) के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई आरंभ हो गई। सेना ने भी घटना की 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी' का आदेश दिया है। सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (एएफएसपीए), 1958 यानी आफ्सपा को निरस्त करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो समेत कई संगठनों ने इसे रद्द करने को कहा है।

नगा अलगाववादी संगठनों पर हिंसा छोड़कर शांति प्रक्रिया में शामिल होने का दबाव बना हुआ था। लेकिन 4 दिसंबर की घटना के बाद नगालैंड का माहौल बदल गया है। एक बार फिर से उन्हें भारतीय सेना पराई लगने लगी है।

भारी पड़ गई भूल

रविशंकर रवि।।

नगालैंड के मोन जिले में शनिवार और रविवार (4–5 दिसंबर, 20121) को जो कुछ हुआ, उसका दूरगामी प्रभाव नगा शांति प्रक्रिया पर पड़ेगा। विभिन्न नगा समुदायों के आम लोग पचास के दशक से चली आ रही हिंसा को छोड़ नगा शांतिवार्ता की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। उन्हें यह भरोसा होने लगा था कि भारत सरकार नगाओं के स्वाभिमान का सम्मान करते हुए उनकी बेहतरी के बारे में सोचने लगी है। यही वजह है कि नगा अलगाववादी संगठनों पर हिंसा छोड़कर शांति प्रक्रिया में शामिल होने का दबाव बना हुआ था। लेकिन 4 दिसंबर की घटना के बाद नगालैंड का माहौल बदल गया है। एक बार फिर से उन्हें भारतीय सेना पराई लगने लगी है। इस घटना से सभी नगा समुदायों को एकजुट करने के मकसद से आरंभ किया जाने वाला हार्नबिल उत्सव थम गया है। वहां भी सेना के विरोध में पोस्टर दिख रहे हैं।

शनिवार 4 दिसंबर को सेना के एक कमांडो फोर्स की कार्रवाई में छह मजदूर मारे गए। सेना को जानकारी थी कि अलगाववादी संगठन एनएससीएन (के) युंग– अंग गुट के कुछ उग्रवादी इस रास्ते से आने वाले हैं। बताते हैं कि जिस कलर की गाड़ी से उग्रवादियों के आने की सूचना थी, उसी कलर की एक गाड़ी आई।

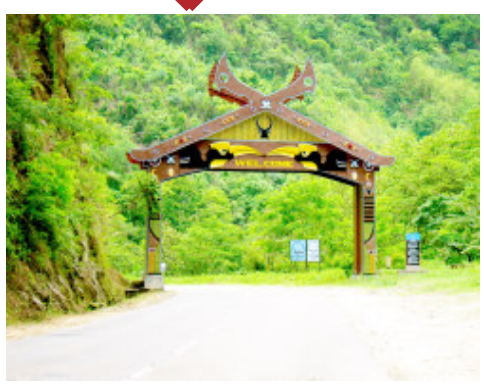

सुरक्षाबलों ने उस पर हमला कर दिया। मगर वह उग्रवादियों की गाड़ी नहीं, एक पिकअप वैन थी जिसमें मजदूर थे। वे तिरु गांव से कोयला की खुदाई करके लौट रहे थे। जब सुरक्षाबलों को अपनी चूक का पता चला तो जवान घायल मजदूरों को पास के एक शिविर में ले गए और उनका इलाज किया गया। फिर भी आठ में से छह मजदूरों की मौत हो गई।

उधर, इन मजदूरों के न लौटने पर स्थानीय युवक और ग्रामीण उनकी तलाश में निकले। जब उन्हें सचाई का पता चला तो वे उत्तेजित हो गए। उन्होंने सुरक्षाबलों के कम से कम तीन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। सुरक्षाबलों ने बचाव में गोलियां चलाईं , जिनमें सात ग्रामीण मारे गए। इस खूनी संघर्ष में सेना का एक जवान भी मारा गया। कई जवान घायल हुए। अगली सुबह इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। मारे गए सभी ग्रामीण कोन्याक नगा समुदाय के थे। मोन जिले में उनकी बड़ी संख्या है। सीमा पार म्यांमार में भी कोन्याक नगा समुदाय के कई गांव हैं। खबर फैलते ही विभिन्न गांवों से लोगों का जमा होना आरंभ हो गया। उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। हालात से निपटने के लिए मोन जिले में इंटरनेट और एसएमएस सेवा बंद कर दी गई। बावजूद इसके लोग जमा होते गए। उग्र ग्रामीणों ने ओटिन में असम राइफल्स के एक शिविर पर हमला कर दिया। बचाव में वहां भी सुरक्षाबलों को गोलियां चलानी पड़ीं, जिससे एक ग्रामीण की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। नगालैंड में दशकों बाद ग्रामीणों और सुरक्षाबलों के बीच सीधे संघर्ष की स्थिति बनी है और सुरक्षाबलों के शिविर पर हमले हो रहे हैं। यह स्थिति नगा समस्या के समाधान में एक बड़ी बाधा बन सकती है।

ऐसी एक ऐतिहासिक गलती 30 मार्च, 1953 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोहिमा यात्रा के दौरान हुई थी। नेहरू म्यामांर के तत्कालीन प्रधानमंत्री यू लु के साथ नगा नेताओं से मिलने कोहिमा गए थे, क्योंकि भारत और म्यांमार की सीमा के अंदर नगा बहुल राष्ट्र की मांग उठ रही थी। सभी नगा समुदायों को उस सभा में आने का आमंत्रण भेजा गया था।

सूडोकु नवताल-5318

सरल

2	9			5				4
4			2		7		8	
	1	6		8				3
8		5		9				7
3	6			2			1	9
1				3		5		2
5				7		6	3	
	3		1		8			5
9				6			2	1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकु नवताल -5317 का हल

7	8	1	6	9	4	2	5	3
2	6	4	5	3	8	1	7	9
5	3	9	1	2	7	4	6	8
9	5	8	7	4	1	3	2	6
1	2	3	9	5	6	7	8	4
4	7	6	3	8	2	9	1	5
3	9	7	2	6	5	8	4	1
6	4	2	8	1	9	5	3	7
8	1	5	4	7	3	6	9	2

अपना ब्लॉग

नगा प्रधानों का दल नाराज

मोहन। नेहरू को सुनने और उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में नगा जनता कोहिमा पहुंची थी। उसी दौरान एक नगा प्रतिनिधिमंडल नेहरू से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन देना चाहता था, लेकिन स्थानीय जिला उपायुक्त ने इसकी इजाजत नहीं दी। इस बात से नगा प्रधानों का दल नाराज हो गया। इसके बाद जैसे ही नेहरू भाषण देने के लिए उठे, नगा अपनी जगह से उठ गए और जाने लगे। उनसे अनुरोध किया जाता रहा, लेकिन वे सभी यह कहते हुए चले गए कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब वे प्रधानमंत्री की बात क्यों सुनें। यह अलग बात है कि नगा प्रतिनिधिमंडल के मिलने की इच्छा की जानकारी नेहरू को बाद में मिली। लेकिन तब तक भूल हो चुकी थी। कई नेता भूमिगत हो गए। उनमें से बहुत से लोगों ने हथियार उठा लिया। सेना को बुलाया गया और तमाम तरह के अधिकार दे दिए गए। तब से नगा अलगाववाद चलता आ रहा है।